न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्याः 92/15</u> निर्णय दिनांकः— 26.09.2018

1. श्योकरण पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी मनाफसर तहलसी लूणकरसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. गोमती
2. फूसी | पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी मनाफसर
3. लाछा | तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय 08—10—2015
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः—

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हरिराम शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय दिनांक 08—10—2015 जिसके द्वारा अपीलांट के पक्ष में पारित निर्णय को विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के पिता चेतनराम वल्द मालूराम जाट के नाम मौजा रोही राजासर करणीसर के खेत खसरा नम्बर 32/2 में तादादी 25 बीघा 9 बिस्वा भूमि बतौर खातेदार रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलांट/वादी की मृत्यु के पश्चात् वादी के पिता के धारण की भूमि अपीलांट/वादी के जाजय वारिसान अर्थात वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता दर्ज होनी थी।

लेकिन वादी के नाबालिग होने के कारण वादी के भाई धन्नाराम के अकेले के नाम वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। वादगत् भूमि बिना किसी सक्षम अधिकार के आदेश के खसरा नम्बर 92 तादादी 31 बीघा 3 बिस्वा रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जिसकी दुरूस्ती की जाकर पुराना खसरा नम्बर 32/2 तादादी 25 बीघा 9 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 92 तादादी 31 बीघा 3 बिस्वा वादी/प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज व अंकन करने हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

जिस पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी को जरिय समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 फौत होने पर उसके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट/वादी की व स्टेट की बहस सुनने के पश्चात् जिसमें स्टेट की तरफ से बहस में कथन किया गया कि समुचित साक्ष्य के आधार पर वादी को 1/2 बहिस्सा बराबर अंकन किया जाता है तो स्टेट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड यथा गिरदावरी संवत् 2010 से 2013, 2013 से 2017, 2017 से 2020 व जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 व जमाबन्दी संवत् 2020 से 2023 व सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी आवंटन आदेश, चेतनराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, व ग्राम पंचायत राजासर उर्फ करणीसर के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र की प्रतियॉ प्रस्तुत की गई। अदालत मातहत

द्वारा तमाम रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् यह पाये जाने पर कि वादगत् भूमि वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के दादा यानि उनके पिता धन्नाराम के पिता चेतनराम के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जोकि सहवन से धन्नाराम के अकेले के नाम दर्ज कर दी गई है जो गलत है। तथा जिसे दुरूस्त करने के आदेश अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26—09—2011 को प्रदान किये गये।

प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई वरन् उक्त आदेश दिनांक 26—09—2011 के विरूद्व दिनांक 20—10—2015 अर्थात अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 4 वर्ष उपरान्त अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7, 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण जोकि धन्नाराम के जायज वारिसान है, को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये व बिना नोटिस तामील करवाये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः उक्त एकतरफा आदेश दिनांक 26—09—2011 को अपास्त करते हुए प्रार्थीगण को दावें में अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान की जावे।

अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया था कि उक्त प्रार्थना पत्र मियांद बाहर प्रस्तुत है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अदालत मातहत द्वारा विधि के विरूद्व जाकर आदेश दिनांक 26—09—2011 को अपास्त करने में कानूनी भूल कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26—09—2011 को पारित आदेश उनके समक्ष प्रस्तुत तमाम राजस्व रिकार्ड, स्व. चेतनराम के वारिस प्रमाण पत्र व वादगत् भूमि पर अपीलांट/वादी का 1/2 बहिस्सा बराबर मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया था।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपने स्वयं के आदेश को निरस्त किया गया है। जिसका उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं था। प्रतिवादीगण यदि अदालत मातहत के आदेश से किसी प्रकार से व्यथित थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष

चाराजोई करनी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने पूर्ववर्ती आदेश को निरस्त किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—10—2015 निरस्त करते हुए पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 26—09—2011 यथावत बहाल रखा जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस करते हुए कथन किया रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7, 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष अप्रार्थी श्योकरण द्वारा प्रार्थीगण के पिता धन्नाराम के विरूद्व दावा पेश किया गया था, जिस पर प्रार्थीगण के पिता धन्नाराम पर उनके जीवनकाल में कभी सम्मत तामील नहीं करवाई गई।

दौराने दावा उनके पिता का निधन होने पर वादी श्योकरण द्वारा उनके स्थान पर प्रार्थीगण जोकि स्व. धन्नाराम के जायज वारिसान है, को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर स्व. धन्नाराम के स्थान पर उसके जायज वारिसान को नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये। परन्तु प्रार्थीगण को उक्त नोटिस की कभी भी तामील नहीं करवाई गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28—07—2010 को तामील होना मानकर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दावे में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर व पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन के पश्चात् यह पाया गया कि पत्रावली पर प्रतिवादीगण को समन जारी होना नहीं पाया जाता है तथा ना ही प्रकरण में उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान किया गया है। जो न्याय का हनन है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7, 12 व सपठित धारा 151 सीपीी स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 26—09—2011 को अपास्त

करते हुए प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 11—08—2010 को अपास्त किया जाकर मूल पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत के उक्त आदेश के किसी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। वादगत् भूमि पर यदि अपीलांट के किसी प्रकार के हक व हकूक साबित होते है तो वह इस तथ्य को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 08—10—2015 यथावत बहाल रखा जावे

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7, 13 व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08—10—2015 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 26—09—2011 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) **हस्तगत्** प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 26—09—2011 को आदेश पारित करते हुए वादगत् भूमि पर चेतनराम के जायत वारिसान श्योकरण पुत्र चेतनराम व धन्नाराम पुत्र चेतनराम के नाम 1/2 ब—हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये गये थे।

(3) उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7, 13 व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08—10—2015 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पूर्ववर्ती आदेश

दिनांक 26—09—2011 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

(4) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में मूल विवाद वादगत् भूमि मौजा रोही राजासर उर्फ करणीसर के पुराने खेत खसरा नम्बर 32/2 तादादी 25 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 92 तादादी 31 बीघा 3 बिस्वा भूमि के बाबत् है।

उक्त भूमि पूर्व में स्व. धन्नाराम पुत्र चेतनराम के नाम दर्ज रिकार्ड की गई थी। जबकि अपीलांट श्योकरण का कथन है कि चूंकि अपीलांट् तत्समय नाबालिग था ऐसी स्थिति में उक्त भूमि सहवन से अकेले धन्नाराम के नाम दर्ज रिकार्ड की गई थी। जबकि उक्त भूमि पर श्योकरण का भी 1/2 हिस्सा होने से राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये जावे।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—09—2011 पारित किया गया। उक्त आदेश पारित करते समय वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड यथा गिरदावरी संवत् 2010 से 2013, 2013 से 2017, 2017 से 2020 व जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 व जमाबन्दी संवत् 2020 से 2023 व सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी आवंटन आदेश, चेतनराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, व ग्राम पंचायत राजासर उर्फ करणीसर के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र की प्रतियों के अवलोकन के पश्चात् यह तथ्य साबित होने पर कि वादगत् भूमि वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के दादा यानि उनके पिता धन्नाराम के पिता चेतनराम के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जोकि सहवन से धन्नाराम के अकेले के नाम दर्ज कर दी गई है जो गलत है। जिसे दुरूस्त करने के आदेश अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26—09—2011 को प्रदान किये गये थे।

(6) चूंकि प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि स्व. चेतनराम के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट स्व. चेतनराम के जायज वारिसान होने का तथ्य

साबित होने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि मौजा रोही राजासर उर्फ करणीसर के पुराने खेत खसरा नम्बर 32/2 तादादी 25 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 92 तादादी 31 बीघा 3 को अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात 1/2 –1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

(7) प्रकरण में यदि रेस्पोडेन्ट के इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जावे की अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व प्रतिवादीगण पर नियमानुसार तामील करवाये बिना व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है, तब भी वादगत् भूमि के बाबत् पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के यह तथ्य भलींभांति साबित होता है कि वादगत् भूमि के मूल आवंटी स्व. चेतनराम के अपीलांट/रेस्पोडेन्ट जायज वारिसान है। ऐसी स्थिति में किसी भी जायज वारिसान को पुश्तैनी भूमि पर उसके अधिकारों/हक व हकूकों से वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 26–09–2011 में अभिनिर्धारित किया गया है।

ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को मात्र तकनीकी बिन्दु का सहारा दिया जाकर कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वाद में समन की विधिवत तामील नहीं करवाई गई है, प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित/जैरकार रखने के अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि वादगत् भूमि के संबंध में तमाम राजस्व रिकार्ड के आधार पर यह पूर्व में अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि वादगत् भूमि पर स्व. चेतनराम के जायज वारिसान बराबर के अधिकारी है तथा उसी अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये गये है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आदेश दिनांक 26–09–2011 के विरूद्व प्रार्थना पत्र दिनांक 20–10–2015 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 26–09–2011 के विरूद्व करीब चार वर्ष उपरान्त प्रस्तुत किया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट यदि अदालत मातहत

के आदेश दिनांक 26—09—2011 से किसी प्रकार से व्यथित थे तो रेस्पोडेन्ट को उक्त आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय के चाराजोई करनी चाहिए थी।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—10—2015 उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर